

**प्राथमिक मूल वाद में डिकी**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मठउरथल  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र प्रसाद गोयल R.A.S.

उनवान

शिवकान्ता वर्गरेह बनाम मुशरी वर्गरेह (शेष पुस्त पर

दावा बाबत 53, 188 R.T. ACT

मुकदमा नम्बर :- 31/2015

निर्णय दिनांक :- 18/5/16

वादी की ओर से श्री संजेश शर्मा एवो. की व प्रतिवादी की ओर

X की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.5.2016

को राजेन्द्र प्रसाद गोयल (नाम पीठासीन अधिकारी) R.A.S. उपखण्ड अधि

मठउरथल के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है

डिकी दी जाती है कि - मुताबिक राजनिामा दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण

प्राथमिक डिकी किया जाता है। आरजी ए.न. 220, 222, 224, 225 कुल 4

कुल 24 बीघा 07 बिस्वा ग्राम घटली का वादीगण को 15 हिस्से का ए

नं. 1 रा 4 का 15 हिस्से का खलेदार कारतकार घोषित किया जाता है एवं ख.नं. 2

शर्कीधा 06 बिस्वा ग्राम - घटली लहरील मठउरथल का वादीगण को 15 हिस्से

प्रतिवादी नं. 1 रा 4 का 15 हिस्से का खलेदार कारतकार घोषित किया जाता है

व प्रतिवादी नं. 1 रा 4 अपने-अपने हिस्से का बंटवारा राजाव रेकार्ड में कराने के

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे। (शेष पु

यह आज तारीख 18.05.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाव गई।

( उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी ए  
पदेन सहायक कलक्टर )


**वाद के खर्चे**


वादी	रुपया	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
		आदेशिका की तामील




२५/५/१७

पत्रावली आज राजस्थान लोक अदालत बेंगलूर - नंदर पर पेश हुई।  
 वकील वादीगण उपस्थित। लक्ष्मीलाल मण्डरायल से खं०२०११  
 स्कीम प्राप्त हुई, जो शमभोज पत्रावली की गई। खं०२०११ स्कीम  
 पर वकील वादीगण को सुना गया। वकील वादीगण खं०२०११ स्कीम से  
 सहमत हैं। अतः मुलाबिक खं०२०११ स्कीम दाया वादीगण अन्तिम  
 डिक्ली किया जाता है। आशजी खं.न. २२३/१ रकबा १२ बीघा १६  
 बिस्वा, खं.न. - २२५/१ रकबा ५ बीघा १७ बिस्वा कुल किरा २ कुल  
 रकबा १७ बीघा १३ बिस्वा शम - छत्तरी वादीगण के हिस्से खालेदारी  
 व कब्जे में रहेगी। एवं खं.न. २२० रकबा ३ बीघा, खं.न. -  
 २२२ रकबा ५ बीघा ३ बिस्वा, खं.न. २२३/२ रकबा ४ बीघा १० बिस्वा,  
 खं.न. २२५/२ रकबा १० बीघा ११ बिस्वा, खं.न. - २२५ रकबा ३  
 बीघा १६ बिस्वा कुल किरा ५ कुल रकबा २४ बीघा शम - छत्तरी  
 प्रविदाई) न. १ ग ५ के हिस्से खालेदारी व कब्जे में रहेगी।  
 इसी अनुसार वादीगण एवं प्रविदाईगण न. १ ग ५ के हक में  
 अलग - २ - खालेदारी इन्डुज राजस्थान रिकार्ड में अमल डिक्ली  
 जावे। खं०२०११ प्रस्ताव मथ नक्शा, निर्वाच व डिक्ली का मुज  
 रहेगी। तदानुसार अंतिम पर्चा डिक्ली जारी हो। निर्वाच  
 लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर  
 है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 मण्डरायल (करोली)

  
 (बेंच सदस्य)

  
 (बेंच सदस्य)